डा० न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान
पूर्व न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तूरबा गान्धी मार्ग, नई दिल्ली–110 001
दूरभाष : 23736758, फैक्स : 23355741

सत्यमेव जयते

**Dr. Justice B.S. Chauhan**
Former Judge Supreme Court of India
Chairman
**Law Commission of India**
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone : 23736758, Fax: 23355741

7 अक्तूबर 2016

अपील

भारत का विधि आयोग कुटुंब विधियों के पुनरीक्षण और सुधार की व्यापक व्यवस्था के संबंध में सभी संबंधित व्यक्तियों का हमारे साथ लगने के लिए स्वागत करता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह उपबंधित है कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा'। इस प्रयास के पीछे असुरक्षित समूहों के प्रति भेदभाव का समाधान करने और विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करने का उद्देश्य है । आयोग एक समान सिविल संहिता के सभी संभव प्रतिमानों और रूपदों पर सुझाव आमंत्रित करता है ।

आयोग यह आशा करता है कि वह एक समान सिविल संहिता की जीवन क्षमता के बारे में एक लाभप्रद वार्तालाप आरंभ करेगा और सामाजिक अन्याय का समाधान करने के लिए सभी धर्मों की कुटुंब विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं की विभिन्नता पर, न कि विधियों की अनेकता पर फोकस करेगा । आयोग, सामाजिक परिवर्तन की मांगों का उत्तर देते हुए, सभी पणधारियों और जनसाधारण की रायों पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी एक वर्ग, समूह या समुदाय के संनियमों का कुटुंब विधि संबंधी सुधारों के स्वर और दिशा पर प्रभुत्व नहीं है, विचार करेगा ।

कुटुंब विधि सुधारों को, अन्य बातों के साथ साथ, महिलाओं के अधिकारों को अपने आप में एक साध्य के रूप में समझना है न कि सांविधानिक उपबंधों, धार्मिक अधिकारों और मात्र राजनैतिक बहस के रूप में । इसके साथ ही इस पृष्ठभूमि में आयोग एक समान सिविल संहिता पर बहस के लिए आमंत्रित करता है और सामाजिक तथा विधिक सुधारों के लिए आपके मूल्यवान योगदान की भी वांछा करता है । इच्छुक धार्मिक समूह, सामाजिक समूह, अल्पसंख्यक समूह, गैर सरकारी संगठन, राजनैतिक दल, पहल करने वाली सिविल सोसाइटी तथा सरकारी अभिकरण, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर भारत का विधि आयोग, चौदहवां तल, एच.टी हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली -110001 को डाक द्वारा या ईमेल द्वारा lci-dla@nic.in. पर अपने अभिमत प्रस्तुत कर सकते हैं । आयोग, पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उनके साथ अन्योन्यक्रिया कर सकेगा ।

आयोग ने, उन तरीकों, जिनमें कुटुंब विधि सुधार ऐसी अति समाकलनात्मक रीति में पुर:स्थापित किया जा सकता है और जो उस विभिन्नता और अनेकता के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं और जो भारतीय सामाजिक ढांचे का केन्द्र बिंदु हैं, के बारे में जन साधारण की रायों और विचारों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है ।

Bschauhan
7/X/2016
(न्यायमूर्ति डा. बी.एस.चौहान)

# भारत का विधि आयोग
## एक समान सिविल संहिता पर प्रश्नावली

1. क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में यह उपबंधित है कि "कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा" ?

   क. हां ।
   ख. नहीं ।

   आपके विचार में, क्या इस विषय में कोई और पहल अपेक्षित है ?
   ---
   ---
   ---
   ---
   ---
   ---

2. विभिन्न धार्मिक संप्रदाय कुटुंब विधि के विषयों पर भारत में स्वीय विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं द्वारा शासित किए जाते हैं, क्या एक समान सिविल संहिता में इन सभी विषयों या उनमें से कुछ विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ?

   i. विवाह
   ii. विवाह-विच्छेद
   iii. दत्तक ग्रहण
   iv. संरक्षकता और बाल अभिरक्षा
   v. भरणपोषण
   vi. उत्तराधिकार और
   vii. विरासत
   क. हां, इसमें इन सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए----------
   ख. नहीं, इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए----------
   ग. इसमें आगे और सम्मिलित किया जाना चाहिए----------

3. क्या आप सहमत हैं कि विद्यमान स्वीय विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं के संहिताकरण की आवश्यकता है और क्या लोग इससे लाभान्वित होंगे?
   क. हां।
   ख. नहीं ।
   ग. स्वीय विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं को एक समान संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ।
   घ. स्वीय विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं को, मूल अधिकारों के अनुरूप लाने के लिए उन्हें संहिताबद्ध किया जाना चाहिए ।

4. क्या एक समान सिविल संहिता या स्वीय विधि और रूढ़िजन्य प्रथाओं का संहिताकरण लैंगिक समानता को सुनिश्चित करेगा ?
   क. हां ।
   ख. नहीं ।

5. क्या एक समान सिविल संहिता वैकल्पिक होनी चाहिए?
   क. हां ।
   ख. नहीं ।

6. क्या निम्नलिखित प्रथाओं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए और उन्हें विनियमित किया जाना चाहिए?
   क. बहुविवाह (पाबंदी लगाई जाए/विनियमित किया जाए) ।
   ख. बहुपति प्रथा (पाबंदी लगाई जाए/विनियमित किया जाए) ।

ग. अन्यत्र मैत्री-करार (मित्रता विलेख) जैसी समरूप रूढ़िजन्य प्रथाएं (पाबंदी लगाई जाए/विनियमित किया जाए) ।

7. क्या तीन बार तलाक की प्रथा को,
   क. पूर्णतया समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।
   ख. रूढ़ि को बने रहने दिया जाना चाहिए ।
   ग. उपयुक्त संशोधनों के साथ बने रहने देना चाहिए ।

8. आपका क्या विचार है कि यह सुनिश्चित किए जाने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं कि हिंदू स्त्री अपने उस संपतति अधिकार का बेहतर ढंग से प्रयोग करने में समर्थ हैं, जो प्राय: पुत्रों को रूढ़िजन्य प्रथाओं के अधीन वसीयत में दिया जाता है?
   क. हां, हिंदू स्त्रियों को इस अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि कुटुंब के दबाव में स्त्रियां अपनी संपतति का त्याग न करें ।
   ख. नहीं, विद्यमान विधि में पर्याप्त संरक्षण है ।
   ग. विधिक उपबंध उसमें सहायक नहीं होंगे जो मुख्यतया सांस्कृतिक प्रथा है, इसके स्थान पर समाज को संवेदनशील बनाने के लिए उपाय करने होंगे ।

9. क्या आप सहमत हैं कि विवाह-विच्छेद को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की प्रतीक्षा अवधि से क्रिश्चियन स्त्री के समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है?

   क. हां, इसे सभी विवाहों में एक समान बनाया जाना चाहिए ।
   ख. नहीं, यह अवधि पर्याप्त है और धार्मिक भावनाओं के अनुरूप है ।

10. क्या आप सहमत हैं कि सभी स्वीय विधियों और रूढ़िजन्य प्रथाओं के लिए एक समान आयु पर सहमति होनी चाहिए?
    क. हां ।
    ख. नहीं, रूढ़िजन्य विधियां यौवनागम की प्राप्ति पर इस आयु का पता लगाती हैं ।
    ग. "शून्यकरणीय" विवाहों को मान्यता देने की विद्यमान प्रणाली पर्याप्त है ।

11. क्या आप सहमत हैं कि सभी धार्मिक संप्रदायों को विवाह-विच्छेद के लिए समान आधार प्राप्त होने चाहिएं?
    क. हां ।
    ख. नहीं, सांस्कृतिक मतभेद को परिरक्षित किया जाना चाहिए ।
    ग. नहीं, किंतु स्वीय विधि के अंतर्गत पुरुषों और स्त्रियों को उपलब्ध विवाह -विच्छेद के लिए एक समान आधार होने चाहिएं ।

12. क्या एक समान सिविल संहिता विवाह-विच्छेद पर स्त्रियों के भरणपोषण का प्रत्याख्यान या अपर्याप्त भरण पोषण की समस्या का समाधान करने में सहायक होगी?
    क. हां ।
    ख. नहीं,
    कारण बताएं:
    ---
    ---
    ---
    ---

13. विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को बेहतर ढंग से कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है?
    ---
    ---
    ---
    ---

14. हमें ऐसे दंपतियों की संरक्षा के लिए, जो अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय विवाह करते हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिएं?

---
---
---
---

15. क्या एक समान सिविल संहिता किसी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है ?

क. हां ।

ख. नहीं,

कारण बताएं:

---
---
---
---

16. समान संहिता या स्वीय विधि के संहिताकरण के लिए समाज को संवेदनशील बनाने हेतु क्या क्या उपाय किए जाने चाहिएं?

---
---
---
---

टिप्पणियां:

---
---
---
---
---
---
---
---

कृपया अपना नाम, संपर्क नंबर और पता लिखें ।